

05-08-15 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकार हाजिरा,
शाह पेशी दिनांक 15-07-15 का पक्षकार के
मध्य राजीनामा हो जाने से अब इस
प्रकरण में कौमि कार्यवाही नहीं कराने का मत
प्राथमिक पत्र पेश किया है वकील पक्षकारों
ने आज भी प्रकरण में राजीनामा हो जाने
से कौमि कार्यवाही नहीं कराने हेतु निवेदन
किया। पक्षकारों द्वारा पुनर्दत्त प्राथमिक पत्र
एवं वकील पक्षकारों के कठोरता का
स्वीकार किया जाता है पत्रावली में कौमि
कौमि कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होने
से कार्यवाही ड्रॉप करने के आदेश दिए
जाकर पत्रावली फैसल में शुमार होकर
नगदर से कम की जावे।

मिना कलक्टर,
सुमरपुर